SHORT DURATION DISCUSSION

Report of the One-Man Commission of inquiry, headed by justice J.S. Verma, into the assassination of Shri Rajiv Gandhi former Prime Minister of India.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या एक राष्ट्रीय क्षति रही है। जिस प्रसन्नचित और युवा व्यक्तित्व को हमने प्रधानमंत्री के रूप में देखा और सुना, आज उनकी मृत्यु के बाद बने वर्मा जांच आयोग की रिपोर्ट पर हम दुःखी दिल से विचार कर रहे हैं।

(श्री वी० नारायणसामी पीठासीन हुए)

आज निराशा में डूबा हुआ सदन इस बात पर विचार कर रहा है कि जस्टिस वर्मा जांच आयोग के क्या निष्कर्ष थे, उन्होंने क्या कनक्लूजन निकाले जिसके कारण हमने राजीव जी को खो दिया हम सब इस कष्ट और उदासीनता की अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्र के सामने यह प्रश्न है कि क्या हम ऐसे राष्ट्र-भक्तों को ऐसे ही खोते रहेंगे जिन्होंने देश के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया था जिनके परिवार का न केवल भारत को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में योगदान रहा बल्कि आजाद भारत को खुशहाल बनाने की जिन्होंने कोशिश की और स्वयं राजीव गांधी जी के दौर में जिस भारत देश ने प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दी।

मान्यवर, मुझे याद है जब राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई थी तो इस सदन में सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर न केवल उनकी हत्या की आलोचना की थी बल्कि उन्हें देश का एक महान सपूत भी कहा था।

इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने एक स्वर में यह मांग की थी कि राजीव गांधी जी की हत्या की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उस न्यायिक जांच का क्या निष्कर्ष निकला जिसकी मांग सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने की थी, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस भावना से हमारे सदन के सारे सदस्यों ने, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर उस समय राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या की आलोचना की थी और उसकी न्यायिक जांच की मांग की थी, तो आज जब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो राजनीति की सीमाओं को लांघकर जब हम इस पर चर्चा करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचें कि इसके लिए दोषी जो हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो क्योंकि ऐसे महापुरुष जिसकी हत्या से पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया था, संसद से लेकर सेवा तक बड़े विक्षिप्त अवस्था में थे और मुझे रहीम के कुछ शब्द याद आ रहे हैं कि--

रहिमन फिर फिर बोइए, टूटे मुक्ताहार।

यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम निर्भीकता से और स्वच्छता से राजनीतिक सीमाओं को लांघकर जब हम डिस्कशन में भाग लें तो हमें आगे पछताना पड़ेगा क्योंकि रहीम ने यह कहा है --

रहिमन कुटिल कुठार ज्यों करि डारत दो टूक
चतुरन के कक्षत रहत, समय चूक की हूक।

इसलिए हमें एक स्वर में यह निर्णय लेना है कि वर्मा जांच आयोग ने जिनको दोषी ठहराया है हम उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करें।

मान्यवर, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला तो यह है कि राजीव गांधी जी की हत्या के लिए प्रमुख कारण क्या थे। जो प्रमुख कारण वर्मा जांच आयोग के निष्कर्ष में निकला है वह यह है कि सैक्यूरिटी प्रोटेक्शन ग्रुप का विदड्राल हुआ। मिस्टर जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट 12 जून, 1992 को प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने इस चीज को इंगित किया कि राजीव गांधी जी ने 2 दिसम्बर, 1989 को सत्ता त्यागी। उसके बाद जो हाइ पावर कमेटी की बैठक हुई 4 दिसम्बर, 1989 को उसमें यह निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी जी को एस०पी०जी० की सैक्युरिटी देना जारी रखना चाहिए।

मैं पेज 73 को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें लिखा गया है :

"Record note of discussion held by Cabinet Secretary on 4th December, 1989:

The instruction at present is that Shri Rajiv Gandhi and his family should be provided the same level of protection as hitherto. SPG will continue to provide protection to the ex-Prime Minister till a final decision is taken in this regard."

उसके आगे लिखते है :

"IB and RAW will immediately give a threat assessment in respect of the ex-Prime Miniter. Any modification of the level of protection to him will have to be based on the fresh threat assessment."

उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट है 4-12-89 का उसी में लिखा है :

"The instruction of the Government is that ex-Prime Minister should be provided the same level of protection."

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ इंगित करना पड़ रहा है कि यह जो निर्णय 4-12-89 को लिया गया था इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया 3-1-90 को। उसमें वर्मा रिपोर्ट के पैरा 14.21 में लिया गया है :

"This decision of the Central Government was then superseded by its decision on 30th January, 1990."

मान्यवर, मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा और माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा केबिनेट सेक्रेटरी का पहला ग्राब्जरवेशन था, पहला डिसिजन था 4-12-89 का कि जब तक फ्रैश थ्रैट असेसमेंट न कर लिया जाए तब तक एस.पी.जी. की सैक्योरिटी जारी रखी जानी चाहिए। उसके आगे यह भी कहा गया :

"It appears that the IB and also the MHA did not feel comfortable at the withdrawal of SPG cover to Shri Rajiv Gandhi without provision to him of a suitable alternative to complement security in spite of the threat to him continues unreduced. The threat to him appeared to have increased with the passage of time, particularly on announcement of general elections during which the media projected Shri Rajiv Gandhi in the forefront of the electoral rap."

मान्यवर, जब पूरे देश में यह ग्राभास हो रहा था कि चुनाव नतीजों के बाद राजीव गांधी जी अगले प्रधान मंत्री होने वाले हैं तो उनको सीक्रेट थ्रैट और ज्यादा मिलने लगे थे लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए, जो इंटेलीजेंस ब्यूरो के बार-बार सरकुलर गये उनको नजरअंदाज करते हुए ही केन्द्रीय सरकार की भूमिका रही। प्रश्न इस बात का है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो ने समय-समय पर क्या-क्या सरकुलर भेजे ? उन सरकुलर्स को क्यों नजर अंदाज किया गया ? उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किन की है ? बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि केवल सरकुलर भेजने से काम नहीं चलता है। प्रश्न इस बात का है कि उसका क्रियान्वयन हुआ या नहीं। यदि क्रियान्वयन नहीं हुआ तो उसके लिए दोषी कौन-कौन है ? इसके अलावा एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्मा कमीशन की आब्जरवेशन है कि राजीव गांधी जी की हत्या से ठीक एक दिन पूर्व 20 मई, 1991 को इंटेलीजैंस ब्यूरो ने सूचना दी थी कि राजीव गांधी जी की सुरक्षा अपर्याप्त है और इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम उनको एन एस जी प्रदान करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है जिन्होंने उस 20 मई, 1991 के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ग्राबजरवेशन को नजर अन्दाज किया ? यह सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है जिसमें केबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल है जिन्होंने 4-12-89 को जो निर्णय पूर्व केबिनेट सेक्रेटरी ने लिया उसको बदलने में एक प्रमुख भूमिका अदा की और यह कहा कि एस.पी.जी. परसोनल की कमी है, पैसा ज्यादा होगा, एस.पी.जी. ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने वी.वी.आई.पीज. की सेक्यूरिटी को गम्भीरता से लेते हुए एस.पी.जी. ऐक्ट में संशोधन किया तो क्या उस समय

इस आवश्यकता का आभास नहीं हुआ कि जिन राजीव गांधी जी को बराबर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा था, उनके लिए एस.पी.जी. ऐक्ट में संशोधन करके उनको एस.पी.जी. प्रदान की जाय ? इसके अलावा क्या यह सही है कि जिन केबिनेट सेक्रेटरी ने 30 जनवरी 1991 को यह डिसीजन बदलवाया उसमें क्या केबिनेट की संस्तुति ली गई थी और क्या केबिनेट की एप्रूवल ली गई थी और यदि केबिनेट की एप्रूवल ली गई थी तो वह निर्णय क्या था, उसके मिनट्स क्या थे, केबिनेट सेक्रेटरी की नोटिंग क्या थी और तत्कालीन प्रधान, मंत्री ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की थी, उस पर क्या नोटिंग की थी ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसके अलावा और भी केन्द्रीय सरकार की भूमिका में उस समय यह बात कही गई थी कि जब तक सेक्यूरिटी का सेटिसफेक्टरी आलटरनेटिव एरेंजमेंट न किया जाय तब तक एस.पी.जी. विदड्रा नहीं की जानी चाहिए और फ्रेश एसेसमेंट थ्रेट को लिया जाना चाहिए। क्या यह सब किया गया ? मान्यवर मैं वर्मा कमीशन के आबजरवेशन को नोट करना चाहता हूं। उसमें पैरा 11.14 में कहा गया है :

"It is obvious that the barricading was inadequate and that too single instead of the required double barricades."

यह जिम्मेदारी किस की थी। इसी प्रकार से पैरा 11.15 में कहा गया कि—

"The evidence also shows that the lighting behind the dais was inadequate and with the collection of many people around the rostrum and behind it up to the palmyrah trees, of whom many were not checked or frisked, this situation continuing till the arrival of Rajiv Gandhi, unauthorised persons could without any difficulty remain in that area and then sneak in close to Rajiv Gandhi when he arrived."

इस सब कमी के लिए दोषी कौन है ? इसका उत्तरदायी कौन है ? इसके साथ-साथ पैरा 11.27 में कहा गया है।

"The evidence clearly indicates that latest by 8.00 or 8.30 P.M. on May 21, 1991, it was clear to the police officers including R.K. Raghavan, IGP that the arrangements for the security of Rajiv Gandhi at the venue of the meeting were quite unsatisfactory and effective access control was not possible with the arrangements which had been made."

मान्यवर, इसी प्रकार 11.29 के पैरा में लिखा गया है कि :

"It appears that the police officers, in spite of being dissatisfied with the state of arrangements and want of effective access control, adopted a casual attitude in the performance of their duty unmindful of the consequences and made no attempt to enforce strict access control by regulating the behaviour and conduct of the persons present......"

मान्यवर, इन सारी बातों को उद्धृत करने का मेरा आशय यह था कि यदि राजीव गांधी जी को एस.पी.जी. विदड्रा नहीं की जाती तो जो कमियां जस्टिस वर्मा ने आवजर्व की हैं, शायद उन कमियों की पूर्ति हो जाती और राजीव गांधी जी हमारे बीच से नहीं जाते। प्रश्न इस बात का है कि क्या केबिनेट सेक्रेटरी इतना अधिकृत होता है कि वह जो नोट पुट-अप करे, प्राइम मिनिस्टर या केबिनेट को कि एस.पी.जी. की कमी है, एस. पी.जी. ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिये राजीव गांधी जी को जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे एस.पी.जी. सेक्युरिटी विदड्रा कर ली जानी चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चहता हूं कि क्या हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके आधार पर केबिनेट सेक्रेटरी को इतना महत्व दिया जाता हो या उसको एक्सट्रा आर्डिनेरी पावर्स दी जाती हों ? यदि नहीं तो उस केबिनेट सेक्रेटरी के विरुद्ध, जिसने इस प्रकार का प्रपोजल दिया, वर्तमान सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यह मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि बुनियादी बात यह है कि उस एस.पी.जी. सिस्टम को विदड्रा किया गया जिसका 4-12-89 को खुद केबिनेट ने डिसीजन लिया था, हाई पावर कमेटी ने डिसीजन लिया था, उसको नजरअंदाज करके उसमें परिवर्तन कर दिया गया।

...सके साथ-साथ मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। क्या उस समय जब कि यह आभास दिलाया गया कि एस.पी.जी. में संशोधन करने की आवश्यकता है तभी एस.पी.जी. उनके द्वारा रोकी जा सकती है तो क्या उस समय जो केबिनेट सेक्रेटरी, मेम्बर सेक्रेटरी और डाइरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक मीटिंग हुई थी, उस समय की सरकार के दौरान जब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो क्या उस समय के केबिनेट सेक्रेटरी ने इस बात की ओर इंगित किया था कि एस.पी.जी. ऐक्ट में संशोधन करना राजीव जी की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा उनका मत था तो उस में उस समय के प्रधानमंत्री का क्या मंतव्य था, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा? जब आप अपना उत्तर दें तो कृपया उन मिनिट्स का भी हवाला दें कि उस समय के प्रधानमंत्री जी का, जो उस समय के केबिनेट सेक्रेटरी श्री शेषन का आबजर्वेशन था, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इसके अलावा इस एस.पी.जी. के विदड्रावल के डिसीजन का अप्रूवल किसका मिला? साथ ही क्या यह सही नहीं है कि यह विशुद्ध राजनैतिक निर्णय था और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर इस निर्णय को लिया गया? साथ ही साथ उन सारे डाक्युमेंट को प्रस्तुत किया जाय जिन डाक्युमेंट का हवाला देकर एस.पी.जी. को विदड्रा किया गया।

मान्यवर, कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि जो लोग शीर्ष पदों पर रहते हैं, वह जब आफिस छोड़ देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके सक्सेसर की हो जाया करती है। यह एक अनुकरणीय पहल है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी मिसाल बनी कि जो सक्सेसर हुआ उसने अपने ही प्रेडिसेसर को जो सुरक्षा मिली हुई थी, वह उसने विदड्रा कर ली जबकि अबव जेड कटेगिरी में थे और उनका जो सिक्युरिटी थ्रेट था, वह लगातार बढ़ता जा रहा था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या यह आवश्यक है, क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि जब वर्मा कमीशन रिपोर्ट का यह आब्जरवेशन रहा कि दोनों समय के केबिनेट सेक्रेटरी की आब्जरवेशन दोनों समय अलग अलग थी, क्या उनसे भी वार्तालाप हुई और उनके मंतव्य को जानने की पहल की गई थी? यदि नहीं तो क्या उस समय के सारे पेपर्ज को आप सदन में प्रस्तुत करेंगे? उस समय के केबिनेट सेक्रेटरी के मत अलग अलग समय पर अलग अलग क्यों थे? इसके अलावा राज्य सरकार की क्या भूमिका रही? उस समय प्रेजीडेंट राज था और प्रेजीडेंट रूल में केन्द्रीय सरकार की अहम भूमिका हुआ करती है क्योंकि राज्य में जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाया करती है तब उसको आधार बनाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अक्सर ऐसा ही हुआ है। तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी उन राज्यों में और बढ़ जाती हैं जब वी.वी.आई.पीज. की मूवमेंट उन राज्यों में होती है। लेकिन इस सरकार ने एक निर्णय लिया विशेष रूप से राजीव गांधी जी के बारे में। जब वह अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन राज्य सरकारों की हुआ करेगी। जिनको बहुत ज्यादा सिक्युरिटी थ्रेट होता है, उनकी पब्लिक मीटिंग्ज में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था राज्य सरकारों को जो साधन उपलब्ध हैं, उनके आधार पर नहीं कर सकतीं। जैसे एक्सप्लोसिव्ज का सामना करने की बात आती है। राजीव गांधी जी को बराबर थ्रेट मिल रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि किस प्रकार के सिक्युरिटी अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है जो जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। मैं पेज 39 से उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है—

"No one should be allowed to garland and to present any bouquet without any permission from the organisers." Secondly, "The place of function should be inspected by the security authorities well in advance and arrangements for order and security planned."

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन बातों की ओर ध्यान दिया गया जबकि बार बार इंटेलीजेंस ब्यूरो

के सर्कुलर थे। मैं उनको उद्धृत भी करना चाहूंगा पेज 42 से 46 तक उनका जिक्र है लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो 23-1-1991 को इंटेलीजेंस ब्यूरो ने सर्कुलर भेजा, मैं पेज 92 को उद्धृत करना चाहूंगा --

"The LTTE has threatened to cause harm to Shri Rajiv Gandhi alleging that he along with certain other Indian leaders were stumbling blocks to the achievements of the Eelam"

इसके अतिरिक्त पेज 43 में लिखा गया है।

"The crackdown in Tamil Nadu after the imposition of President's rule has increased the resentment of the LTTE and their local supporters against the Central Government. This has enhanced the threat to the security of the Prime Minister and also Shri Rajiv Gandhi from them. In addition, there have been in the past many instances of the use of explosive devices by pro-LTTE Tamil elements as well as pro-Left Tamil chauvinists"

मान्यवर, इसके अलावा 18 अप्रैल, 1991 को आई.बी. ने सरकुलर भेजा, उसके बाद 18 मई 1991 को सरकुलर भेजा जिसमें यह भी कहा गया था कि :

".....attempt may be made during his public meeting or other public appearances."

साथ ही 20 मई, 1991 का जो सरकुलर था यह बहुत चौकाने वाला और बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको बिल्कुल नजरअंदाज तत्कालीन सरकार ने किया और मैं उसको आपकी इजाजत से उद्धृत करना चाहूंगा :

"Keeping the very high threat to the security of Shri Rajiv Gandhi, it is necessary to strengthen his security arrangements. It is requested that NSG escort may be provided to him immediately."

मान्यवर, साथ ही 18 मई को भी डी.आई.जी., सी.आई.डी. ने इस बात का जिक्र किया था :

Uncorrected|Not for publication—14-5-93 "No unidentified persons should be allowed in the vicinity of the dignitary."

साथ ही यह भी था कि :

"Garlands and bouquets may be checked before they are presented to the VIP."

इन सारी बातों को नजरअंदाज किया गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जब वर्मा कमीशन का यह आब्जरवेशन है तो क्या वह उससे सहमत हैं कि जो उनका आब्जरवेशन रहा है कि 20 तारीख को इंटेलीजेंस ब्यूरो का जो सरकुलर था जो खबर थी उसको नजरअंदाज किया गया। साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस समय जो इंटेलीजेंस ब्यूरो ने यह खबर दी थी क्या उस समय के प्रधान मंत्री जी की नालेज में यह बात लायी गई थी और यदि थी और यदि लायी गयी थी तो उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या जस्टिस वर्मा की इस बात से माननीय गृह मंत्री जी सहमत है कि जो उनकी हत्या हुई वह इस वजह से हुई मूलतःया उसका मुख्य कारण यह रहा कि एस.पी.जो. विदड्रा कर ली गयी? इसके लिए आप किसको उत्तरदायी ठहरायेंगे? साथ ही क्या उन सारे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे जिन्होंने उन सरकुलर्स को नजरअंदाज किया था उन पर किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी वाले ढंग से कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार जो इंटेलीजेंस ब्यूरो का भी रोल रहा वह न केवल बहुत दुखदायी रहा बल्कि निन्दनीय रहा।

यह बात कही जाती है कि उस समय को जो सरकार थी उसको समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया था। राजीव गांधी जी ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह*

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Vice-Chairman. Sir, I am on a point of order I think this expression is uncalled for. I do not want to get into the merits. This comparison of Mr. V. P. Singh—it is unparliamentary. I want that it should be removed from the record.

MISS SAROJ KHAPARDE : You cannot say that it is unparliamentary

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): If the term is unparliamentary, that will be removed from the record.

श्री सुरेश पचौरी : उस* से मुक्ति पाने के लिए श्री चंद्रशखर को समर्थन दिया था ।

मुझे एक बात याद आ रही है, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: He cannot use such word.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): That I have already ruled.

श्री सुरेश पचौरी : कि अकबर ने जो बैरम खां के साथ सलूक किया, कुछ वैसा ही हमको प्रतीत हुआ । बैरम खां ने वफादारी के साथ 1556 ई. अकबर को राजा घोषित किया था और बैरम खां (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : 1556 होगा, 1956 नहीं। 1526 में तो बाबर आया था। पहले अकबर कैसे हो गया ?

श्री सुरेश पचौरी : बैरम खां को कमजोर बनाने की लगातार कोशिश होती रही (व्यवधान)

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : आपने इतिहास पढ़ा है ।

श्री सुरेश पचौरी : और उनसे सुरक्षा गार्ड वापिस ले लिया और मक्का जाते समय उनकी गुजरात में हत्या कर दी गई 1560 ई. में ताकि वह उनके लिए चुनौती न बने। तो 1556 ई. में जिस बैरम खां ने अकबर को राजा बनावाया, उसकी हत्या 1560 में उस राजा के काल में हो गई, जिस राजा को बड़ी आत्मीयता के साथ बड़े विश्वास के साथ राजा बनाया गया था ।

हमारे यहां और भी मिसालें है कि औरंगजेब ने अपने, पिताजी, शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया था । सुलतान खिलजी ने 1296 ई. में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी।

तो सवाल इस बात का है कि केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि किसके समर्थन से किसकी सरकार बनी थी, सवाल इस बात का है कि जिसकी सरकार बनी थी, जिसकी सरकार थी, उसने सरकार में रह कर अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वहन किया है कि नहीं ?

तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस बात से सहमत है कि उस समय की सरकार क्या सही उन्होंने उत्तरदायित्व का पालन किया था ?

प्रश्न इस बात का उठता है लोग कहते हैं कि दो कांस्टेबल्स के मसले पर उस सरकार से समर्थन वापिस ले लिया गया। प्रश्न दो कांस्टेबलस का नहीं है, प्रश्न इस बात का था कि मंशा क्या थी । उस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री कौन थे ? उन हरियाणा के मुख्य मंत्री से उस समय के प्रधानमंत्री जी के कितने प्रगाढ़ संबंध थे ?

श्री दिग्विजय सिंह : कौन थे उस समय ?

श्री सुरेश पचौरी : आगे जो बैठ हैं, उनसे पूछ लीजिए । आप पूछ लीजिए। आप भी मंत्री थे उस समय की सरकार में।

श्री सुरेश पचौरी : अगर आप नाम बोलने की इजाजत दें, तो मैं कोई नेम बोल दूंगा ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप भी सुनने के लिए तैयार रहिए । मैं भी देता हूं (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Digvijay Singh, let him speak. You can speak when your turn comes.

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, राजीव जी महिम गये थे जब वहां जुल्मों सितम हुआ था और अत्याचार हुआ था । वहां का क्या दृश्य था, उस पर भी गौर करना आवश्यक है । कुछ लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ गया था । कुछ लोग यह महसूस करने लगे थे कि उनके नेतृत्व को खतरा हो गया है ।

मैं इस मौके पर गृह मंत्री जी से यह भी मांग करूंगा कि राजीव जी की हत्या से तीन महीने पहले और तीन महीने बाद कौन-कौन लोग विदेश यात्रा पर गये थे ?

4.00 P.M.

कौन-कौन साथ थे, उनको हवाई जहाज किस-किस ने दिया था, राजीव जी की हत्या के समय वह कौन से देश में थे, क्या ये प्रश्न राजीव गांधी जी की हत्या से नहीं जुड़े हुए ? इस बात पर भी माननीय मंत्री जी गौर करें, क्योंकि कुछ लोगों को इस बात ने बेचैन कर दिया था कि राजीव गांधी जी अगले प्रधान मंत्री बनेंगे और यह सैंट्रल हाल की गॉसिप रहा करती थी। कुछ लोग बड़े सहज अंदाज में कह देते थे कि वह रहेंगे, तभी तो बनेंगे। ये सारी बातें हैं। ठीक 1977 में चुनाव हारने के बाद जिस ढंग से 1980 में इंदिरा गांधी ताकत में आई, ठीक उसी ढंग से नवासी में चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी जी वापस 1991 में सत्ता में आने की स्थिति में हो गए थे। जो उस समय के काफी जो पेपर्स थे और काफी जो आब्जर्वेशन था वह इसी प्रकार का था । हालांकि वर्मा रिपोर्ट सुरक्षा के संदर्भ में थी, लेकिन इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण बात राजीव गांधी जी की साजिश का है जो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साजिश हुई उन पर भी गौर करने की जरूरत है । मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी बहुत कुछ महत्वपूर्ण हुआ करती है। केवल यह कहने से काम नहीं चलता है कि वह केयर टेकर सरकार थी। सरकारी एजेंसी का क्या दायित्व हो जाता है ? जो सरकारी एजेंसी के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स को न मानें, उनको नजरअंदाज कर दें, जो जिक्र मैंने 20 मई, 1991 को जो आई. बी. की जो रिपोर्ट गई थी उसका जिक्र किया है, जो अत्यंत खतरनाक संकेत है। क्योंकि एक इंप्रेशन बन गया था कि तमिलनाडु की भी एक सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन बना दिया गया है, तो लोगों को यह आशंका होने लगी थी, कई प्रकार से यह जानकारियां कई तरफ से मिल रही थी कि डी.एम.के. की सरकार को तो गिरा दिया गया है, राजीव गांधी जी को भी गिरा दिया जाएगा।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 21 तारीख को राजीव गांधी जी की जहां मीटिंग होनी थी सिटी पेरम्बदूर में वहीं पर बस स्टैंड के पास एक जगह बुक हुई थी। वह उस समय डी.एम.के. ने कराई। सामान्य तौर पर सिरी पेरम्बदुर में वहीं सभा हुआ करती थी, लेकिन वह 21 तारीख के लिए डी.एम.के. ने वह जगह बुक करा ली और उसके बाद वहां पर सभा नहीं हुई। न केवल वहां सभा नहीं हुई, बल्कि आस-पास के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में भी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता को सभा संबोधित करना था उन्होंने वह कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया। यह अपने आप में अत्यन्त, न केवल गंभीर बात है, बल्कि एक जांच का मुद्दा भी है। इसके अलावा लगातार न केवल देश में विभिन्न एजेंसियां आगाह कर रही थीं बल्कि विदेश के महत्वपूर्ण लोग भी इस बात को आगाह कर रहे थे कि राजीव गांधी जी को अत्यन्त खतरा है । अराफात ने भी जून में इस बात से आगाह किया था। In an interview with a newspaper, Mr. Chandrashekhar said :

"Mr. Arafat told me of the warning when he came to pay his condolence. Unfortunately, it was not the time or place to discuss the matter in detail."

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जब अराफात ने यह पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे तो उस समय की सरकार ने इसको नजरअंदाज क्यों किया ? आय. बी. के सर्कुलर को नजरअंदाज किया गया, जो विदेशी महत्वपूर्ण लोग थे उनकी जानकारी को नजरअंदाज किया गया और एस.पी.जी. की सेक्युरिटी जब विदड्रा की गयी तो न केवल कांग्रेस के लोगों ने बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रोटेस्ट किया तो उसको भी नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कमला पति त्रिपाठी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को चिट्ठी लिखी तो

उन्होंने उनको आश्वासन दिया, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और तो और विभिन्न समाचार पत्रों ने इस बारे में जो संपादकीय लिखे, उन पर भी गौर नहीं किया गया, मान्यवर, यह कहा जाता है कि उसके बाद राजीव गांधी जी ने जिस पार्टी को समर्थन दिया था, उस पार्टी की सरकार सत्ता में आ गयी थी तब एस.पी.जी. वापिस क्यों नहीं ली गयी? मान्यवर, मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि श्री राजीव गांधी ने श्री चिदम्बरम को इस के लिए कहा था कि वह इस संबंध में तत्कालीन प्रधान मंत्री से बात करें और वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री से इसका जिक्र भी किया, लेकिन जो वांछित परिणाम निकलने थे वह नहीं निकल पाए। इसके साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को और अन्य को जो ज्ञापन दिए उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। मान्यवर, यह कैसे अपेक्षा की जाती है कि जिसकी सुरक्षा का स्वयं का प्रश्न हो, वह खुद मांग करे? सरकार को यह तय करना होता है कि उसका अपना दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? सरकारी एजेंसीज जो सूचना दे रही हैं उस सूचना के आधार पर उसको किस ढंग से, एक्ट करना चाहिए, यह सारी बातें हैं जिन पर कि गौर करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुचते हैं कि बड़ी सहजता से राजीव गांधी जी की सेक्युरिटी को लिया गया और इसको नजरअंदाज बड़े आसान ढंग से किया गया। मान्यवर, लोग उपहास किया करते थे कि राजीव गांधी जी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजीव गांधी जी सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां जो सुरक्षा के नार्म्स हैं और समय-समय पर जो रक्षा विशेषज्ञों के मत रहे हैं जिसमें वर्मा कमीशन का भी ऑब्जर्वेशन है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी राजनेता हुआ करता है उसका पब्लिक एक्सपोजर होना चाहिए। पब्लिक और उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, वह उसके सेक्युरिटी पर्सनल की हुआ करती है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या वह सेक्युरिटी पर्सनल उस श्रेणी के थे कि राजीव गांधी जी को जिस किस्म की सेक्युरिटी थ्रेट थी, वह अबव दैट कैटगरी के थे जिससे कि वह उसका सामना कर पाते? साथ ही यह भी विचार करना आवश्यक है कि समय-समय पर उनकी सेक्युरिटी थ्रेट को ध्यान में रखते हुए जो खबरें दी जाती हैं तो उनको उनकी सेक्युरिटी के जिम्मेदार लोगों ने वह जिन राज्यों में गए, तो उनको उन्होंने किस रूप में लिया?

मान्यवर, अब उसमें एक मुद्दा और आता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के रोल का प्रश्न है, राज्य सरकार की भूमिका का प्रश्न है' आय. बी. का प्रश्न है, फिर दूसरी केन्द्रीय सरकार जिसके शासन के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसकी भूमिका का प्रश्न है, उसके अलावा एक बात और आती है कि कांग्रेस के साथियों की क्या जिम्मेदारी थी?

मान्यवर, मैं बड़े खुले दिल से, जब इस पर चर्चा हो रही है, तो इस बात को इंगित करना चाहूंगा कि आर्गेनाइजर्स की यह जिम्मेदारी हुआ करती है कि जो लोग भी, वी.आय.पी. का विजिट हो, उसको माला पहनाएं या उसको बोके दे तो जहां सिक्योरिटी के लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह उसको चेक करे, उसके आसपास के घेरे में ऐसे लोगों को जो आर्गेनाइजर्स के द्वारा वेरिफाई नहीं किए गए हैं उनको वहां प्रवेश न करने दें। लेकिन, यदि कोई प्रवेश कर जाता है तो इसके लिए, जहां सिक्योरिटी रहती है और आर्गेनाइजर्स ने उनको आइडेंटिफाई किया है तो उनकी भी जिम्मेदारी हुआ करती है।

मान्यवर, मैंने जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो मैंने इस बात के साथ प्रारंभ की थी कि जहां हम राजीव गांधी जी को राष्ट्र की धरोहर, मानवता का प्रतीक निरूपित कर रहे हैं और यह कह रहे हैं सारे लोग कि उससे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हुई है तो हम सारी बातों का विश्लेषण बड़ी ईमानदारी से करें, इसमें कोई अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की कोशिश न करें और न किसी पर आरोप, प्रत्यारोप लगाने की अनावश्यक प्रयास करें। लेकिन, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि पहले क्या तीन लोगों को माला पहनाने की इजाजत दी गई थी, बाद में वह संख्या 23 हो गई? यह 23

लोग कौन-कौन थे? इनको किन लोगों ने पहचाना था? क्या यह सही नहीं है कि वहां यह बार-बार एनाउन्स किया जा रहा था कि राजीव गांधी जी शीघ्र आ रहे हैं और जो लोग माला पहनाना चाहते हैं वह रोस्ट्रम के लेफ्ट साइड में चले जाएं? यह सारी बातें हैं? और, उसके जो आर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कुछ और लोगों को पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्देशित किया था, जिनका नाम ए. जे. डोज था, जो चीफ आर्गेनाइजर थे। क्या वहां के जो सिक्योरिटि इंचार्ज थे, उन्होंने वह सारे नाम जो चीफ आर्गेनाइजर से लिए थे? यदि लिए थे, तो क्या केवल वही लोग पंक्ति में खड़े थे। यदि उनके अलावा दूसरे लोग पंक्ति में पहुंच गए थे तो इसके लिए आप जिम्मेदार किन को ठहराते हैं? इससे हटकर, मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में जो एफिडेविट 30/10/92 को गृह विभाग ने दिया था, क्या उसमें इस प्रकार का जिक्र था? यदि था तो जो आपने एक्शन टेकेन रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की है उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है?

मान्यवर, यहां उस समय की सरकार की जवाबदारी थी, केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार की। यह होता है कि कोई भी पार्टी अपना लाभ लेने लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने राजनेता का कार्यक्रम कराया करती है। चूंकि चुनाव का वक्त, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही थी और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते लोकतंत्र के सबसे बड़े मसीहा की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई। यह कहा जा सकता है कि यह काम केवल सिक्योरिटी का है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन इसके अलावा जो आरगेनाइजर थे, उनकी भी जिम्मेदारी हुआ करती है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब हम सब कार्यवाही की मांग कर रहे हैं तो हमें इस बात की भी मांग करनी चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। क्या इस प्रकार का आब्जरवेशन गृह विभाग का था कि संख्या 3 से बढ़ाकर 23 कर दी गई और रोस्ट्रम के लेफ्ट साइड लोगों को पंक्तिबद्ध करने के लिए वहां पर कहा गया? मान्यवर, इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें हैं जो वर्तमान सरकार से संबंधित हैं। उस समय के केबिनेट सैक्रेटरी ने जिन्होंने एस.पी.जी. सिक्युरिटी विदड्रा करने के लिए नोट-पुट-अप किया था एप्रूवल के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समक्ष 30-01-90 को, उसमें केबिनेट की जो दूसरे दिन मीटिंग हुई यानी 01-02-90 को, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे? साथ ही क्या यह सत्य नहीं है कि वे केबिनेट सेक्रेटरी, जो एस.पी.जी. विदड्रा करने के लिए प्रमुख रूप से रिस्पांसिबल थे, उनको पुरस्कार स्वरूप दो साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। क्योंकि मेरे साथी बार-बार नाम पर जोर दे रहे हैं तो वह एक ज्योतिषी टर्नड् ब्यूरेक्रेट्स—विनोद पांडे—थे और उन्हें दो साल का एक्सटेंशन दिया गया? जब हम लोग यहां इस नतीजे पर पहुंचे कि बगैर फ्रैश थेट असेसमेंट के एस.पी.जी. विदड्रा करना न केवल गलत था, बल्कि अनुचित भी था तो जब यह सरकार सत्ता में आई तो इस सरकार ने सांकेतिक रूप से ही सही, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, मैं यह जानना चाहूंगा? जब राजघाट पर श्री राजीव गांधी जी पर हमला हुआ था, उस समय जो सिक्योरिटी इंचार्ज गौतम कौल थे, उनको एकदम हटा दिया गया था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव जी की शहादत के बाद हम जब सत्ता में आए तो हमें उन सारी चीजों पर जितना गौर करना था, वह नहीं किया। उस समय जो होम सेक्रेटरी थे, उनको आई एंड बी सेक्रेटरी बना दिया गया। एक तरफ राजघाट पर हुए हमले से सिक्युरिटी इंचार्ज और राजीव गांधी के रिश्तेदार गौतम कौल हटा दिए जाते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी को दूसरी महत्वपूर्ण जगह पर रख दिया जाता है। यह एक गंभीर बात है। क्या मंत्री जी इस बात से सहमत नहीं हैं कि जस्टिस वर्मा का यह मत था कि एस.पी.जी विदड्रा किया जाना सबसे प्रमुख कारण था, तत्कालीन केन्द्रीय सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वह वांछनीय भूमिका नहीं थी और साथ ही राज्य सरकार की राष्ट्रपति शासन में जो भूमिका होनी चाहिए थी, वह नहीं थी? क्या गृह मंत्री जी इससे सहमत हैं कि जो सिक्युरिटी के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन संजीदगी और ईमानदारी से नहीं किया? क्या मंत्री जी इस बात से भी सहमत हैं कि गृह विभाग के जो महत्वपूर्ण लोग उस समय थे, जिसमें गृह सचिव भी शामिल हैं, जिसमें उस समय के केबिनेट सेक्रेटरी विनोद पांडे भी शामिल हैं, तो उनके खिलाफ इस सरकार के सत्ता में आने के बाद क्यों कार्यवाही नहीं की गई? या कार्यवाही नहीं की गई, तो कार्यवाही न करने के लिए जिम्मेदार कौन था? मंत्री जी जब उत्त

दें तो कृपया इसको स्पष्ट करें। इससे और आगे, जब मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, (समय की घंटी) . . मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार के जो 19 पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए उसमें जो दो प्रमुख थे --मि० राघवन और मि० माथुर, वह रिइंस्टेट कर दिए गए। इनको रिइंस्टेट किस आधार पर किया गया, जबकि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन था कि यह लोग जो उस जगह पर थे प्रमुख रूप से इनकी भी जिम्मेदारी थी। यदि इनको अलग किया, इनको फिर से रखा गया तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में वहां की राज्य सरकार से कुछ पूछताछ की? इसके अलावा वर्मा कमीशन के सामने प्रस्तुत होने का जो नोटिस जारी हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी अरूण कंपानी, ए.सी.पी. थे, उनको भी इंटरोगेशन के लिए आने को कहा गया। लेकिन उनका इंटरोगेशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, मैं यह भी आपसे जानना चाहूंगा?

मान्यवर, दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि जो होम मिनिस्ट्री है, उसमें एक्सपर्ट कमेटी की फाइंडिंग्स क्या हैं? क्या फैक्ट्स फाइंडिंग्स बनाकर माननीय मंत्री जी ने जो एक्शन टेकिन रिपोर्ट दी है और बाद में उस पर जो अमेंडमेंट दिया है, वह क्या आप सी.बी.आई. को भेजेंगे और यदि नहीं भेजेंगे तो उसका कारण क्या है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो साईट सलेक्ट की गई उसमें वहां के इंटेलीजेंस ब्यूरो और लोकल पुलिस की अनुशंसा ली गई थी और वह कौन लोग थे? यदि वह साईट बदली गई और जिन्होंने साईट बदली थी, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? यह सारी बातें हैं, मान्यवर, जो न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि दिल दहलाने वाली हैं।

--(समय की घंटी)--

मान्यवर, आज हम सब लोगों का यह फर्ज हो जाता है कि जब हम राजीव गांधी जी के ऐसेसिनेशन पर चर्चा कर रहे हैं, उस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यह मांग की थी कि राजीव गांधी जी की हत्या की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम एक स्वर से यह मांग करें कि जो लोग भी उन देशप्रेमी व्यक्तित्व की निर्मम हत्या के दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन लोगों को कठिन से कठिन सजा दी जाए। मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, एक बात और मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एक्शन टेकिन रिपोर्ट थी, वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बहुत समय के बाद आपने एक्शन टेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद आपने एक अमेंडमेंट देते हुए वक्तव्य 28-4-93 को जारी किया। --(समय की घंटी)--

जो एक्शन टेकिन रिपोर्ट आपने 23-12-92 को इस सदन में रखी, तो इन दोनों के बीच में इतने समय का अंतर क्यों था? आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने इतनी देरी की और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुईं, कि आपने वह संशोधित वक्तव्य दिया जो अपने आप में बहुत विरोधाभास दरशाता है। तो मान्यवर, यह सारी बातें जिन पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते समय कहा था कि जो जो लोग दोषी समझ में आते हैं, बड़ी निर्भीकता से हमें उनको उजागर करने की आवश्यकता है। इसलिए उस समय की केन्द्रीय सरकार जिसके दौर में राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, वहां की राज्य सरकार, वहां की राज्य पुलिस, वहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सबके खिलाफ कार्रवाई तो हो। वहां की राज्य सरकार, वहां की राज्य पुलिस या आई. बी. इन सबके खिलाफ कार्यवाही तो हो ही लेकिन उनके खिलाफ भी कार्यवाही होना आवश्यक है जिन आर्गनाइजर्स ने उनके विजिट को बहुत हल्के तौर से लिया जिसका संकेत वर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में किया है और साथ ही वर्तमान सरकार ने जो संशोधन देने में इतनी देरी की है और ऐक्शन लेने में इतनी देरी की है, उस पर भी गौर करना आवश्यक होगा और उसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो इसलिए कठोरता के साथ रुख अपनाया जाना, व्यक्तिगत लाभ लोभ और सुविधा को नजरअंदाज करना आवश्यक हो गया है। मैं अपनी अंतिम बात एक कवि के शब्दों में कह रहा हूं। मैं संसद से संबंधित बात कह रहा हूं जब हम वर्मा कमीशन की रिपो

पर विचार कर रहे हैं जिसकी मांग सभी लोगों ने एक मत से की थी। कवि ने कहा है कि—

"आज हमें अपने सभी भेद भुला देना है,
मारने वालों को हमें आज सजा देना है।
शहीद देश के लिए राजीव अमर है,
गुनहगारों को हमें आज सजा देना है"

RESIGNATION BY MEMBER

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY : Before I call the next speaker, there is an announcement. I have to inform the hon. Members that the Chairman has received a letter from Shri Vishwasrao Ramrao Patil, a Member representing the State of Maharashtra, resigning his seat in Rajya Sabha. The Chairman has accepted his resignation with effect from today, the 14th May, 1993.

SHORT DURATION DISCUSSION REPORT OF THE ONE-MAN COMMISSION OF INQUIRY, HEADED BY JUSTICE J.S. VERMA, TO ENQUIRE INTO THE ASSASSINATION OF SHRI RAJIV GANDHI FORMER PRIME MINISTER OF INDIA—CONTD.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जांच कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट 12 जून, 1992 को दी गई, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पचौरी जी का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस बात से कोईइंकार नहीं कर सकता कि 21 मई, 1991 का दिन और रात 10 बजकर 20 मिनट का समय हमारे इतिहास के लिए काला दिन था। उस दिन हमारे देश का एक नौजवान प्रधानमंत्री बलात हमसे छीन लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये घिनौना काम, यह दुष्कृत्य जिन लोगों ने किया, जिनके माध्यम से हुआ, जो उसमें सहयोगी रहे, जिन्होंने इसमें भाग लिया या जिन्होंने इसका दायित्व स्वीकार किया उनको कारगर सजा दी जानी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। आखिर इस देश ने एक नौजवान प्रधानमंत्री खो दिया, मैं इस भावना के साथ इस सदन में अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं।

महोदय, यह दुर्दान्त घटना बच सकती थी इसके पक्ष में कई प्रकार की बातें कहीं जा रही हैं। सबसे मोटी बात जो कही जा रही है बार-बार, व यह है कि अगर एस.पी.जी. ग्रुप स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ होता तो शायद यह दुर्घटना न होती। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जिस लड़की ने अपने शरीर में बम बांध रखा था, एस.पी.जी. ग्रुप उससे बचा सकता था। आपके व्यवस्थापकों ने जिन्होंने श्रीपेरम्बदूर में उस मीटिंग का आयोजन किया, महोदय, मैं उस सामयिक परिस्थिति की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता । मुझे पता है कि तमिलनाडु में उस समय राष्ट्रपति शासन था। गवर्नर भी उस समय कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता थे। नेता आज भी हैं। वे गवर्नर आज भी है वहां। उन्होंने भारत सरकार को यह सूचना दी थी। राष्ट्रपति शासन के दौरान गवर्नर पूरे शासन का अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह काम करता है। वह व्यक्ति बहुत पुराना था, अनुभवी था, प्रशासक रहा हुआ था। उसने एक पत्र लिखा था केन्द्र सरकार को कि राजीव गांधी को वहां पर नहीं जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था वहां संभव नहीं है। यह जानकारी केन्द्र सरकार को दी थी। उस समय के कांग्रेस के लोगों को थी। लेकिन गवर्नर साहब के मना करने के बावजूद मीटिंग बुलाई गई। पैरंबदूर में।

[उपसभाध्यक्ष (मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

श्रीमन अभी श्रीमान पचौरी जी कह रहे थे कि क्या वहां सैक्युरिटी के लोग थे। उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि माला पहनाने वाले जो लोग आने वाले थे उनकी तलाशी ली गई ?

महोदय मैं एक अखबार जो कि अंग्रेजी का अखबार है, दक्षिण से निकलता है, उसकी जो